पत्रांक : वाई0ई0ए0 / वित्त / 91 / 2020

दिनांक : 10 जून, 2020

कार्यालय आदेश

प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के पत्र संख्या – 1584 / 77–4–20–26 एन / 20 दिनांक 09.06.2020 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा, नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी संस्तुति पर विचारोपरान्त सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को सभी प्रकार के देयों के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. दिनांक 22 मार्च, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 के मध्य सभी मदों की देयताओं के संबंध में पूर्व में दिये गये परामर्श के अनुसार विलम्ब के लिये कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा, यदि ऐसे देय धनराशि दिनांक 30 जून, 2020 तक जमा कर दी जाती है।
2. जो व्यक्ति दिनांक 22 मार्च, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 के मध्य देयताओं की धनराशि को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक जमा करते है, उनसे दिनांक 22 मार्च, 2020 से लेकर धनराशि जमा करने तक की अवधि में साधारण ब्याज लिया जायेगा।
3. दिनांक 01 जुलाई, 2020 से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के मध्य सभी मदों की देयताओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा साधारण ब्याज लिया जायेगा, यदि ऐसी देयताओं का भुगतान प्राधिकरण को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक प्राप्त हो जाये।
4. यदि यह देयता दिनांक 30.09.2020 तक प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं की जाती है तो सम्पूर्ण स्थगन अवधि हेतु डिफाल्ट ब्याज देय होगा।
5. भविष्य में आने वाले देयताओं की देय तिथि वहीं होंगी जो लीज डीड के अनुसार निर्धारित की गयी है।

प्राधिकरण के सभी मदों की देयताओं के संबंध में जमा की जाने वाली धनराशि पर साधारण ब्याज लिये जाने के संबंध में उक्तानुसार 22.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक सभी प्रकार के देयों पर उक्त व्यवस्था लागू की जाती है।

10.6.2020
(डा0 अरूण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
2. संबंधित समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ
3. गार्ड फाईल।
4. प्रबन्धक, सिस्टम।

(डा0 अरूण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक– पी–2,सेक्टर–आमेगा–1 ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395151 एवं 53, फैक्स न0 – 0120 – 2395150